

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH**  
**LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT**  
**D.K.S. BHAWAN, MANTRALAYA, RAIPUR**

**NOTIFICATION**

5 SEP 2009  
Raipur, dated .09.2009

S. No. 6252 /D- 2011/XXI-B/C.G./09,- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes following further amendment in department notification No. 699/D-168/XXI-B/C.G./08 Raipur dated 18.01.2008 with effect from 24.04.09.

**// AMENDMENT //**

In the said notification, -

1. For the entries in column No. (3) and (4) against serial No. 6 of Schedule-II, the following shall be substituted,-

S.No.	Name of the Court and District	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Family Court, Bilaspur	Bilaspur	Revenue District Bilaspur (excluding the jurisdiction of Civil Court Mungeli and Pendra Road.)
	Family Court, Janjgir-Champa	(a) Janjgir  (b) Additional place of sitting at Sakti for a week, in the 2nd week of every month.	(a) Revenue District Janjgir-champa (excluding the jurisdiction of the court of Sakti.)  (b) Territorial jurisdiction of Civil Court, Sakti.

## अधिसूचना

फा. कं. 6232 /डी-2011/ 21-ब/छ0ग0/09 - कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (कमांक 66 सन् 1984) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, विभाग के अधिसूचना कमांक 699/डी-168/21-ब/ छ0ग0/08 दिनांक 18.01.2008 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, जो दिनांक 24.04.09 से प्रभावशील होगा;-


### // संशोधन //

उक्त अधिसूचना में,-

अनुसूची- एक के सरल कमांक 6 के सम्मुख स्तंभ कमांक (3) एवं (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाए,-

कं.	न्यायालय का एवं जिला	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर	बिलासपुर	राजस्व जिला बिलासपुर (सिविल न्यायालय मुंगेली एवं पैडारोड के क्षेत्राधिकार को छोड़कर.)
	कुटुम्ब न्यायालय, जाजंगीर-चांपा	(अ) जाजंगीर  (ब) बैठक का अतिरिक्त स्थान सक्ती, प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में एक सप्ताह के लिए	राजस्व जिला जाजंगीर-चांपा, (सक्ती न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)  (ब) सिविल न्यायालय सक्ती का क्षेत्राधिकार.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

  
 (आर.एस. शर्मा)  
 प्रमुख सचिव  
 छ0ग0 शासन,  
 विधि और विधायी कार्य विभाग


ए.क.0 /डी-6233/21-ब/छ0ग0/09

रायपुर दिनांक 13/09/09

प्रतिलिपि: -

1. रजिष्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 6204/III-8-2/2001 दिनांक 22.07.09 के संदर्भ में।
2. माननीय विधिमंत्री जी के निज सचिव की ओर, विधिमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव विधि के निज सचिव की ओर, प्रमुख सचिव विधि के अवलोकनार्थ।
4. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, की ओर, छत्तीसगढ़ राजपत्र (आसाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशनार्थ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अशेषित।

  
e/c (राम कुमार तिवारी)  
अति. सचिव  
छ0ग0 शासन,  
विधि और विधायी कार्य विभाग